Seventeenth Loksabha

an>

Title: Demand to include Bhojpuri, Rajasthan and Bhti language in the Eight Schedule of the constitution.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और इस सदन का ध्यान एक अत्यंत लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं । हमारा संविधान इस बात का गवाह रहा है कि संविधान की ऐसी भाषाएं, जो कि लोकप्रिय एवं प्रचलित हैं और देश और विदेश के बड़े भू-भागों में बोली जाती हैं, उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी, ये तीन ऐसी भाषाएं हैं, मैं इसलिए इनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इन तीनों को न केवल देश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है । आज भोजपुरी सूरीनाम और मॉरीशस में सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है । राजस्थानी नेपाल में एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है । वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राजस्थानी भाषा में शपथ लेते हैं । भोटी भाषा भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है ।

महोदय, मैं समझता हूं कि अब यह उचित अवसर है, जो ऐसी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, चाहे मैथिली, मगही और इसके साथ भोजपुरी भी है, आज इनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है । यह विषय कम से कम 19 बार उठाया जा चुका है । यहां पर हमारे राजस्थान के भी साथी बैठे हुए हैं, हमारे नॉर्थ-ईस्ट के भी साथी बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के भी साथी बैठे हुए हैं । 16 मुल्कों में कम से कम 25 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं ।

21.19 hrs (Shri Rajendra Agrawal, *in the Chair*)

महोदय, हम लोग आपका स्वागत करते हैं । यहां पर आदरणीय पी. पी. चौधरी जी भी बैठे हुए हैं । मुझे लगता है कि इससे कम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं । जब स्वर्गीय अटल जी थे, तब उन्होंने इन भाषाओं को उसमें शामिल किया था । मैं निश्चित रूप से इसका स्वागत करता हूं । आज आप देखते होंगे, चाहे मुंबई का समंदर हो, चाहे मॉरीशस हो, चाहे अमेरिका हो, आज जिस तरीके से छठ की पूजा होती है और जिस तरह से देश और विदेशों में भोजपुरी भाषा में गीत गाए जाते हैं ।

यह हमारी भाषा है, हमारी जुबान है, हमारा साहित्य है । अगर इन भाषाओं को संविधान की आँठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाएगा तो अच्छा होगा । इसमें सरकार का किसी तरह का व्यय भी नहीं आएगा ।

श्री पी. पी. चौधरी : राजस्थानी भाषा बहुत मीठी होती है ।

श्री जगदम्बिका पाल: राजस्थानी भाषा बहुत मीठी है, भोजपुरी बहुत मीठी है । आप इस सदन में हमारी जुबान सुनते हैं । देश और विश्व के पटल पर करोड़ों लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं । इसके लिए 'पाहवा समिति 'बन चुकी है, 'सीताकांत महापात्रा समिति 'बन चुकी है । ब्रिटिश आयरिश का एक ऑफिसर है, उसने कहा था कि इसको सम्बद्ध किया जाना चाहिए तो इस तरह से बहुत दिनों से इसकी मांग चल रही है । आज उचित समय होगा, अगर आप सरकार को निर्देशित करें कि संविधान की आँठवीं अनुसूची में भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी भाषाओं को शामिल किया जाए ।